<u>न्यायालयः- सिविल जज (जू.डि.), मऊ, चित्रकूट</u>।

मूलवाद संख्या- 05 / 2019

संतराम आदि बनाम नत्थू आदि

<u>28.01.2019</u>-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थनापत्र 6ग2 पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 6ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर याचना की गई है कि जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को रोक दिया जाये कि वे विवादित भूमि गाटा संख्या 713 रकबा 0.119 हे. स्थित मौजा चकौर, तहसील-मऊ, जिला-चित्रकूट में वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल, उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करें और न हीं करावें।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से वादीगण के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति करते हुये अभिकथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र 6ग2 निरस्त किया जाये।

अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. के तहत अनुतोष याची को तभी प्रदान किया जा सकता है जब वह निम्न शर्तों को साबित करे-

1. क्या प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है?
3. क्या निषेधाज्ञा का आदेश पारित न किया गया तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी?

जहाँ तक प्रथम दृष्टया मामला का प्रश्न है वादी पक्ष का अभिकथन है कि विवादित भूमि संख्या 713 रकबा 0.119 हे0 स्थित ग्राम चकौर, तहसील-मऊ जिला-चित्रकूट जिसे नक्शा-नजरी वाद पत्र में अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है, के जुज भाग अ,क,ख,ग पर प्रतिवादीगण अवैध निर्माण करने पर अमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की भूमि गाटा संख्या 868 है जो कि विवादित भूमि के जानिब दक्षिण लगी हुई स्थित है। विवादित भूमि के जुज भाग अ,क,ख,ग स्थल को प्रतिवादीगण बलपूर्वक हड़पना चाहते है। वादी पक्ष द्वारा अपने समर्थन में सूची 10ग1 द्वारा नकल खतौनी 11ग1 व नकल खसरा 12ग1, दाखिल किया गया हैं।

प्रतिवादी पक्ष के अनुसार वे अपने गाटा संख्या 868 में निर्माण करवा रहे है। वादीगण रंजिशन प्रतिवादीगण को क्षति पहुँचाने के इरादे से विवादित भूमि को अपने गाटे में बता रहे हैं। प्रतिवादी पक्ष की ओर से मौके की फोटोग्राफ, गाटा संख्या 868 की खतौनी व राजस्व नक्शे की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

विवादित भूमि को वादीगण अपनी गाटा संख्या 713 का जुज भाग बता रहा है

और प्रतिवादीगण अपनी गाटा संख्या 868 का जुज भाग बता रहे हैं। स्पष्ट तौर पर दोनों पक्षों के मध्य सीमांकन विवाद है। वादी की भूमि राजस्व प्रपत्रों के अनुसार कृषि भूमि है। वादीगण द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया हो ऐसा कोई अभिकथन अथवा साक्ष्य वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराकर वैकल्पिक अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 41एच के अनुसार जहाँ वादी / विपक्षी को समान वैकल्पिक प्रभावकारी अनुतोष किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त हो सकता है वहां वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। उसी क्रम में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 में किये गये उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संशोधन 'क' में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जहां वादी को स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं होगी वहां अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त वादी पक्ष द्वारा अपनी नक्शा नजरी में गाटा संख्या 713 की पूर्वी रेखा अ,द की चौड़ाई अधिक दिखाई है और पश्चिमी रेखा ब,स की चौड़ाई कम दिखाई है जबकि राजस्व नक्शे में इसका ठीक उल्टा है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं हैं।

जहां तक सुविधा के संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है, चूंकि यह साबित नहीं है कि विवादित भूमि वादीगण की आराजी में ही है और वादीगण द्वारा याचित अनुतोष उपर्युक्त कारण से प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः मेरे मत में सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में नहीं है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश न दिये जाने की स्थिति में वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना सम्भावित नहीं है।

उपर्युक्त के प्रकाश में प्रार्थना पत्र 6ग2 खारिज किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 6ग2 खारिज किया जाता हैं। पत्रावली वास्ते जवाबदावा / विरचन वाद बिन्दु दिनांक-15.02.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू.डि.),
मऊ, चित्रकूट।